भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या - 2452

सोमवार, 04 अगस्त, 2025/13 श्रावण, 1947 (शक)

वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए अर्हक अवधि

2452. श्री आनंद भदौरिया:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सीसीएस (आरपी) नियम, 2016 के नियम 7(10) के अंतर्गत अपने कनिष्ठ कर्मचारियों के बराबर वेतन वृद्धि की अनुमति दी गई है और उक्त मामलों में अगली वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए अर्हक अवधि वरिष्ठ कर्मचारियों के वेतन वृद्धि की तिथि से 6 महीने और उनकी पिछली वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि से एक वर्ष है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसे मामलों में अगली वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए अर्हक सेवा अवधि का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में प्रासंगिक नियम और आदेश क्या हैं?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ग): 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की वेतन संरचना में अगली वेतन वृद्धि की तारीख केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2016 के नियम 10 के अंतर्गत शासित होती है, जिसका उद्धरण अनुबंध-। में संलग्न है।

*****

अनुबंध-I

दिनांक 04.08.2025 को लोक सभा में दिए जाने वाले लिखित प्रश्न संख्या 2452 के उत्तर में संदर्भित केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2016 का नियम 10

10. संशोधित वेतन संरचना में अगली वेतनवृद्धि की तारीख -

" (1) 01 जुलाई की विद्यमान तारीख के स्थान पर वेतन वृद्धि की दो तारीखें होंगी अर्थात् प्रत्येक वर्ष की 01 जनवरी और 01 जुलाई:

बशर्ते कि कोई कर्मचारी अपनी नियुक्ति, प्रोन्नति या वित्तीय उन्नयन प्रदान किए जाने की तारीख के अनुरूप या तो 01 जनवरी या 01 जुलाई को केवल एक वार्षिक वेतनवृद्धि प्राप्त करने का हकदार होगा।

(2) ऐसा कर्मचारी जिसे 02 जनवरी और 01 जुलाई के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में नियुक्ति या प्रोन्नति या संशोधित सुनिश्चित कॅरियर प्रोन्नयन योजना (एमएसीपीएस) के अधीन उन्नयन सहित वित्तीय उन्नयन दिया गया हो, के संबंध में वेतनवृद्धि 01 जनवरी को दी जाएगी और ऐसे कर्मचारी जिसे 02 जुलाई और 01 जनवरी के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में नियुक्ति या प्रोन्नति या संशोधित सुनिश्चित कॅरियर प्रोन्नयन योजना के अधीन उन्नयन सहित वित्तीय उन्नयन दिया गया हो, के संबंध में वेतनवृद्धि 01 जुलाई को दी जाएगी।

उदाहरण:

(क) ऐसे कर्मचारी जिसे 02 जुलाई, 2016 और 01 जनवरी, 2017 के बीच की अवधि में नियुक्ति या सामान्य पदक्रम में अथवा संशोधित सुनिश्चित कॅरियर प्रोन्नयन योजना के अधीन प्रोन्नति दी गई हो, के मामले में अगली वेतनवृद्धि 01 जुलाई, 2017 को देय होगी और इसके बाद से यह वेतनवृद्धि एक वर्ष के बाद वार्षिक आधार पर देय होगी:

(ख) ऐसे कर्मचारी जिसे 02 जनवरी, 2016 और 01 जुलाई, 2016 के बीच की अवधि में नियुक्ति या सामान्य पदक्रम में अथवा संशोधित सुनिश्चित कॅरियर प्रोन्नयन योजना के अधीन प्रोन्नति दी गई हो, जिसने 01 जुलाई, 2016 को कोई वेतनवृद्धि प्राप्त नहीं की हो, के मामले में अगली वेतनवृद्धि 01 जनवरी, 2017 को देय होगी और इसके बाद से यह वेतनवृद्धि एक वर्ष के बाद वार्षिक आधार पर देय होगी:

बशर्ते कि ऐसे कर्मचारियों के मामले में, जिनका वेतन संशोधित वेतन संरचना में 01 जनवरी, 2016 को निर्धारित कर दिया गया है, उस लेवल में, जिसमें उनका वेतन 01 जनवरी, 2016 को इस प्रकार निर्धारित किया गया था, में अगली वेतनवृद्धि 01 जुलाई, 2016 को देय होगी:

बशर्ते यह भी कि 01 जुलाई, 2016 को वेतनवृद्धि प्राप्त करने के पश्चात् अगली वेतनवृद्धि 01 जुलाई, 2017 को देय होगी।

(3) ऐसे मामलों में, जहां पदानुक्रम में दो विद्यमान ग्रेडों का विलय कर दिया गया है और निचले ग्रेड में पदस्थ कनिष्ठ सरकारी सेवक संशोधित वेतन संरचना में तदनुरूपी लेवल में वरिष्ठ सरकारी सेवक से अधिक वेतन प्राप्त करता है, वहां वरिष्ठ सरकारी सेवक का वेतन उसी तारीख से बढ़ाकर उसके कनिष्ठ के वेतन के बराबर कर दिया जाएगा और सेवक इस नियम के अनुसार अगली वेतनवृद्धि प्राप्त करेगा। "

****